



कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा मध्य प्रदेश एवं पदेन उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग

(अधिसूचना)

कमांक / 4393 / भू-अर्जन / 2020

छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 / 08 / 2020

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

--:अनुसूची:--


1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	सौंसर
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-जोबनी प0ह0न-03, ब.न.-164 रा.नि.मं.-सौंसर
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-0.862 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

कमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	41	0.024
2	3/2	0.048
3	40/1	0.180
4	11/2	0.144
5	12	0.216
6	3/1	0.178
7	2/6	0.024
8	2/2	0.048
	योग :-	कुल रकबा-0.862 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- जोबनी से रामूढ़ाना सड़क के बहे हिस्से के नवीन मार्ग निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देख सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौसर, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग(भ/स)संभाग छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग उप संभाग सौसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(सौरभ कुमार सुमन)


कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 13/08/2020

पृ.कमांक / 4393/भू-अर्जन/2020
प्रतिलिपि:-

- 1-सचिव, म0प्र0 शासन राजस्व विभाग वल्लभ भवन भोपाल की ओर म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर राज्य शासन की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर अपलोड किये जाने का अनुरोध है।
- 2- उपनियंत्रक शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय लेखन सामग्री म.प्र. भोपाल को म.प्र. राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 3-संचालक, जनसंपर्क संचालनालय विज्ञापन शाखा पलाश होटल के पास भोपाल को सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया 10 दिवस के अंदर इस अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत करावे तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 4-प्रभारी अधिकारी नाजारात शाखा कलेक्टर कार्यालय छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालय के सूचना पटल में किया जाकर प्रकाशन संबंधी प्रतिवेदन कार्यालय भू-अर्जन शाखा को अनिवार्य रूप से दिया जाना सुनिश्चित करें।

- 5-जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, (एन0आई0सी0) छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे।
- 6-भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौंसर, जिला छिन्दवाडा ओर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना की एक प्रति कार्यालय के सूचनाफलक पर प्रकाशन कराया जाकर पालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से कलेक्टर भू-अर्जन शाखा छिन्दवाडा को भिजवाना सुनिश्चित करें।
- 7-तहसीलदार-सौंसर, जिला-छिन्दवाडा की ओर अधिसूचना की दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना की एक प्रति कार्यालय के सूचना फलक पर एवं एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत-जोबनी के सार्वजनिक स्थान में नियमानुसार प्रकाशन कराया जाकर प्रतिवेदन कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा छिन्दवाडा को भिजवाना सुनिश्चित करे।
- 8-थाना प्रभारी-सौंसर तहसील-सौंसर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कि आप उक्त अधिसूचना का प्रकाशन जनसामान्य की जानकारी के लिये अपने थाना कार्यालय के सूचना पटल में किया जाना सुनिश्चित करें, तथा प्रकाशन संबंधी प्रतिवेदन इस कार्यालय को एक सप्ताह के भीतर भिजवाना सुनिश्चित करें।
- 9-कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। उपरोक्त जारी अधिसूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की प्रतियां तथा म0प्र0 के राजपत्र भाग-1 में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां अनिवार्य रूप से प्रकरण में संलग्न किया जाना सुनिश्चित करे। इस हेतु उपरोक्त प्रकाशित अधिसूचनाओं की समाचार एवं राजपत्र की प्रतियां कलेक्टर न्यायालय की भू-अर्जन शाखा में उपस्थित होकर उपरोक्त कार्यवाही कराने का उत्तरदायित्व आवेदक विभाग आपका ही होगा।
- 10-सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत-जोबनी, तहसील-सौंसर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना की प्रति ग्राम पंचायत-जोबनी के कार्यालय भवन में तथा एक प्रति ग्राम पंचायत-जोबनी के सार्वजनिक स्थान में नियमानुसार प्रकाशन कराया जाकर पालन प्रतिवेदन जिलाध्यक्ष भू-अर्जन शाखा छिन्दवाडा भिजवाना सुनिश्चित करें।
- 11-जिला जनसंपर्क अधिकारी, छिन्दवाडा की ओर अधिसूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया अधिसूचना को दो स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित विज्ञापन की कटिंग प्रतियां कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(सौरभ कुमार सुमन)

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग